भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 1629
(जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया)

एनसीएलटी और एनसीएलएटी में सदस्यों/न्यायाधीशों के लिए पात्रता मानदंड

1629. डॉ. आलोक कुमार सुमनः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने देश के बैंकिंग क्षेत्र में दिवालापन समाधान की प्रक्रिया को रोकने के लिए कोई उपाय किए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में सदस्य/न्यायाधीशों के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं;
(घ) गत तीन वर्षों के दौरान देश में एनसीएलटी और एनसीएलएटी द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है; और
(ङ) देश में एनसीएलटी और एनसीएलएटी द्वारा निपटाए गए वित्तीय अनियमितताओं के मामले की संख्या कितनी है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) का विधायी उद्देश्य कारपोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन, दिवाला समाधान और परिसमापन के लिए एक समेकित ढांचा प्रदान करना है। आईबीसी की धारा 227 के अनुसार, केंद्रीय सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परामर्श से अधिसूचित किया कि गैर-बैंकिंग वित्त (जिसमें आवास वित्त कंपनियां शामिल हैं) की दिवाला समाधान और परिसमापन कार्यवाहियां, जिनकी परिसंपत्ति का आकार 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, अंतिम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार, दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और परिसमापन कार्यवाहियां और न्याय-निर्णयन प्राधिकारी को आवेदन) नियम, 2019 के साथ पठित संहिता के प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी।

(ग): राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में अध्यक्ष/सदस्यों के लिए पात्रता मानदंड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 409 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) में अध्यक्ष/सदस्यों के लिए पात्रता मानदंड अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की धारा 3 (1) और अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के नियम 3 (11) के अनुसार हैं, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

(घ) और (ङ): पिछले तीन वर्षों के दौरान एनसीएलटी और एनसीएलएटी द्वारा वित्तीय अनियमितताओं के मामलों सहित निपटाए गए मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

अधिकरण	वर्ष 2022	वर्ष 2023	वर्ष 2024
एनसीएलटी	9394	9339	8424
एनसीएलएटी	2279	2385	2487

******